न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

श्री मनोज कुमार मीणा निवासी मालकपुर बयाना, जिला भरतपुर।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख, कलेक्ट्रेट भीलवाडा।

प्रकरण संख्या :– 76 / 2025 जीसीएमएस नम्बर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.07.2025	–: निर्णय :– 1. पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र दिनांक 27.01.2025 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख, कलेक्ट्रेट भीलवाडा से चाही गई थी, परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर, प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज कर उभयपक्षकारान की तलबी हेतू नोटिस जारी किये गये। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख, कलेक्ट्रेट भीलवाडा से प्राप्त सूचना अनुसार लोक सुचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 70614–615 दिनांक 24–07–2025 से अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थिया पटवारी से संबंधित होकर निजी सूचना होने से बिना प्रार्थिया की सहमति से सूचना दी जाना संभव नहीं है। उक्त सूचना देने बाबत सहमति पत्र संबंधित पटवारी को भिजवाया गया। प्रार्थिया का सहमति पत्र उपलब्ध नहीं होने से आवेदित सूचना नहीं दी जा सकती है। जिसकी प्रतिलिपि उक्त अपील पत्रावली के अभिलेख पर मौजूद है। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 30–07–2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (जसमीत सिंह संधू) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा	

जिला कलक्टर न्यायालय भीलवाड़ा (राज.)